मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-7

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 15 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 24, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 42 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 50 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य ने रीवा जिले के गुढ़ अंतर्गत तहसीलों में गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के राशन कार्ड बनाने में धांधली होने,

(2) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य ने रीवा जिले के नगर पंचायत नई गढ़ी में दूषित पेयजल का प्रदाय होने,

(3) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के डकैती प्रभावित क्षेत्र सिमरिया थाने व उसके आस-पास एस.एफ. की फोर्स हटाये जाने,

(4) कुं विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य ने छतरपुर के गोरिहार विकासखंड के शिक्षा कर्मियों को वेतन न मिलने,

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल स्थित शिवाजी नगर में शासकीय आवास जर्जर अवस्था में होने,

(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के अनेक ग्रामों में विद्युत ट्रांसफार्मर बंद पड़े होने,

(7) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने प्रदेश में कार्यरत आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं को कम वेतन दिये जाने, तथा

(8) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रदेश के बी.टी.आई./बी.एड. प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ न दिये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. ध्यानाकर्षण

(1) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य ने रतलाम जिले के ग्राम लसुडिया निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(2) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर जिले में निर्धारित दर से डोडा-चूरा की खरीदी नहीं किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री मधुकर हर्णे, सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि :-

समिति ने सदन के समक्ष दिनांक 16 जुलाई, 2004 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई, 2004	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-8)	श्री उमाशंकर गुप्ता	45 मिनिट
2. (क्रमांक-14,37)	सर्वश्री नारायण त्रिपाठी, अजय विश्नोई	1 घन्टा
3. (क्रमांक-55)	श्री जयसिंह मरावी	45 मिनिट

श्री मधुकर हर्णे, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल शहर के हर्षवर्धन नगर क्षेत्र के सीवेज चेम्बर ठीक कराये जाने,

(2) श्री नानालाल पाटीदार,सदस्य ने मंदसौर जिले के ग्राम झावल में हाईस्कूल खोले जाने; तथा

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के लहार, मिहोना, आलमपुर एवं दबोह नगर के क्षतिग्रस्त विद्युत पोल तथा तार बदले जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने -

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 8 सन् 2004), तथा

(2) भारतीय दण्ड संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 9 सन् 2004), सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किये।

7. स्वागत

श्री भेरुलाल पाटीदार, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, मध्यप्रदेश की सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन द्वारा उनका स्वागत किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

8. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे
(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(3) श्री ओमप्रकाश खटीक
(4) श्री रामनिवास रावत

(1.00 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(5) श्री रविन्द्र सुका महाजन
(6) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह
(7) श्री मनमोहन शाह बट्टी
(8) श्री शंकर लाल तिवारी
(9) श्री गोविन्द सिंह पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(10) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला
(11) श्री ताराचंद बावरिया
(12) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
(13) श्री दुलीचंद उरैती
(14) श्री छोटेलाल सरावगी
(15) श्री नारायण प्रसाद कबीर पंथी
(16) श्रीमती सुनीता बेले

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा भोपाल में पुलिस हिरासत में वाणिज्यिक कर उपायुक्त की मौत हो जाने संबंधी मामले को शासन द्वारा गंभीरता से न लेने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(17) श्री जालम सिंह पटेल
(18) श्री निशिथ पटेल

(चर्चा अपूर्ण)

9. सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि रविवार दिनांक 18 जुलाई 2004 को प्रातः 10.30 बजे विधान सभा भवन स्थित "मानसरोवर सभागार" में माननीय सदस्यों को बजट एवं बजटीय प्रक्रिया की जानकारी दिये जाने के उद्देश्य से एक दिवसीय "प्रबोधन कार्यक्रम" का आयोजन किया गया है। जिसमें शासन के विशेषज्ञ अधिकारियों एवं अन्य विषय विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा।

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने का कष्ट करें।

5.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 25, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.